न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 380/2016 **दायरा दिनांक : 28.11.2016**

उनवान

1– विजेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.

2– कल्याण सिंह पुत्र मदन सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.

3– भैरू सिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी पाटूण्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज. (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

3/1– जितेन्द्र सिंह पुत्र भैरू सिंह, आयु 30 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पाटूण्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज.

3/2– भूपेन्द्र पुत्र भैरू सिंह, आयु 30 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पाटूण्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

मूर्ति मन्दिर लाल बिहारी जी विराजमान पाटून्दा तहसील अन्ता एवं उदयपुरिया, तहसील मांगरोल तथाकथित पुजारी जुगल किशोर पुत्र श्री मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी उदयपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 28.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 537/97 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2001 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने ग्राम उदयपुरिया, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 282, 283, 284 तथा 301 का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश प्रदान किया है, जो पूर्णतया अवैधानिक है । अपीलांट प्रन्यास मूर्ति लाल बिहारी जी का अध्यक्ष है। सहायक आयुक्त देवस्थान कोटा द्वारा अपीलांट के पक्ष में प्रन्यास के पंजीयन का आदेश प्रदान किया है, जो आज भी प्रभावशील है । अपीलांट कम 1 प्रन्यास का अध्यक्ष है और मंदिर की सेवा पूजा की सारी व्यवस्था अपीलांट ही कर रहा है । मंदिर के पुजारी जुगल किशोर का मंदिर में कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में खातेदार घोषणा का आदेश प्रदान किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय में तथाकथित पुजारी जुगल किशोर ने मूर्ति लाल बिहारी की ओर से बिना किसी वैध एवं प्रभावी अधिकारों के अपीलांट नम्बर 1 व 2 व भैरूसिंह के विरूद्ध वाद पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर अपीलांट का नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । रेस्पोडेंट ने आराजी प्रन्यास के कब्जे में होना स्वीकार किया है तथा अपीलांट नम्बर 1 ट्रस्ट कर अध्यक्ष होने के नाते काश्त की व्यवस्था कर रहा है

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तथा उसकी आमदनी से सेवा पूजा व रख रखाव कर रहा है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है इसलिए दावा रेस्पोडेंट स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात का सही विवेचन न कर केवल जुगल किशोर पुजारी के एकपक्षीय बयान के आधार पर दावा डिक्री किया है जो खारिज होने योग्य है । पुजारी की हैसियत ट्रस्ट में केवल सेवा पूजा तक ही सीमित है, मंदिर की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा पुजारी को धारा 188 आर टी ए के तहत दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूर्ति मन्दिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री विजेन्द्र सिंह हैं । अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार घोषित कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2001 में तनकीवार विवेचन कर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है कि मूर्ति श्री लाल बिहारी जी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये । स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत जारी की गई है, जो उचित है । देवता की माफी की भूमि जिस पर पुजारी या मूर्ति स्वयं के अलावा अन्य व्यक्ति खेती करता है, तो भी उक्त भूमि को खुदकाश्त समझा जावेगा और उस पर खेती करने वाले को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे चाहे वो ट्रस्ट का अध्यक्ष हो अथवा पुजारी । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2001 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– विजेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.
2– कल्याण सिंह पुत्र मदन सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.
3– भैरू सिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज. (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
3/1– जितेन्द्र सिंह पुत्र भैरू सिंह, आयु 30 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज.
3/2– भूपेन्द्र पुत्र भैरू सिंह, आयु 30 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

मूर्ति मन्दिर लाल बिहारी जी विराजमान पाटून्दा तहसील अन्ता एवं उदयपुरिया, तहसील मांगरोल तथाकथित पुजारी जुगल किशोर पुत्र श्री मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी उदयपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 380/2016 (2016/00415) व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अटरू
मु.द.नं 537/97 निर्णय एवं डिकी दिनांक – 31–07–2001

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह 09 सन् 2020

हाजरी **श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.07.2001 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 28 माह 09 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.